# अवैध निर्माण: भ्रष्ट अफसरों की रिपोर्ट पर खुश हैं सीएम खट्टर

## शहर में चिह्नित अवैध निर्माणों की बाढ़, अफसरों ने मुख्यमंत्री को दी बढ़िया रिपोर्ट

**फ़रीदाबाद मज़दूर मोर्चा**

अवैध निर्माण और अतिक्रमण को बढ़ावा देने वाला भ्रष्ट प्रशासनिक अमला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी गुमराह कर रहा है। सदन में मुख्यमंत्री खट्टर ने फरीदाबाद सहित तीन शहरों में पंद्रह सौ अवैध निर्माणों के होने की सूचना दी। संख्या की जानकारी दिए बिना बताया कि इनमें से कई तोड़ दिए गए, कई को नोटिस भेजी गई और कई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। यह रिपोर्ट पेश करते हुए मुख्यमंत्री यह भूल गए कि एक वर्ष पूर्व ही केवल फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र में ही पंद्रह सौ अवैध निर्माण चिह्नित किए गए थे। इनमें से जिन चुनिंदा इमारतों पर कार्रवाई करने की योजना तैयार की गई थी उनमें से अधिकतर बनकर तैयार भी हो चुके हैं। अवैध निर्माण के अलावा ग्रीन बेल्ट पर कब्जा, फुटपाथ, नाली पर अतिक्रमण तो कहीं भी देखे जा सकते हैं।

एनआईटी के एनएच एक, दो, तीन, और पांच के अधिकतर रिहायशी प्लॉटों में बड़ी बड़ी दुकानें खुल गईं। बीके चौक से लेकर डीसीपी एनआईटी कार्यालय के बीच स्थित स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर बने कुछ क्वार्टरों की जगह तो मॉल और दुकानें बन चुकी हैं, शेष पड़ी ज़मीन पर भी पहले अवैध कब्जे व निर्माण करवाये जायेंगे और फिर मोटी लूट कमाई के बदले उन्हें वैध कर दिया जायेगा। बताते चलें कि पूर्व निगमायुक्त यशपाल ने शहर में अवैध निर्माण चिह्नित कर कार्रवाई करने के लिए चालीस जेई और बीस सहायक अभियंताओं की टीम गठित की थी। इस टीम ने फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में 1500 से अधिक अवैध निर्माण चिह्नित कर निगमायुक्त को रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट के आधार पर यशपाल गर्ग ने प्रत्येक वार्ड में दो-दो अवैध इमारतों को तोड़ने और तीस इमारतों को सील करने का आदेश दिया था। इमारतें तो क्या तोड़ी गईं लेकिन तोड़फोड़ के नाम पर भ्रष्ट अधिकारियों ने खेल किया।

सेक्टर 19 में ड्यूरेबल औद्योगिक प्लाट पर बनाई जा रही है कमर्शियल इमारत

इमारत सील करने के नाम पर भी खेल हुआ। बिल्डिंग सील तो की गई लेकिन उनका निर्माण कार्य रोका नहीं गया। 3 ई 44 बिल्डिंग में सील होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा और अब यह बिल्डिंग बन कर तैयार है। यह हाल पूरे जिले का है, अवैध निर्माण और अतिक्रमण लगातार जारी है। सेक्टर 19 में नेशनल हाईवे पर स्थित ड्यूरेबल इंडस्ट्रियल प्लॉट पर बिल्डिंग बाईलॉज का उल्लंघन कर उसे कॉमर्शियल प्लॉट में तब्दील कर दिया गया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। करोड़ों रुपये कीमत वाला यह प्लॉट मुख्यमंत्री को शायद नजर नहीं आए क्योंकि इसमें सत्तापक्ष के नेताओं की बेनामी संपत्ति लगी हुई है।

मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि फरीदाबाद में ग्रीन बेल्ट पर महज 22 कब्जे या अतिक्रमण हैं। यहां भी अधिकारियों ने उन्हें अंधेरे में रखा। केवल ओल्ड फरीदाबाद में ही ग्रीन बेल्ट पर सौ से अधिक अतिक्रमण हैं। बल्लभगढ़ में कहने को तो 176 एकड़ ग्रीन बेल्ट है लेकिन शहर में इसे तलाशना नामुमकिन नजर आता है। यहां ग्रीन बेल्ट पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण है। शहर के विकास के लिए नगर निगम, हूडा, एफएमडीए और स्मार्ट सिटी जैसे महकमे तो खड़े कर दिये लेकिन काम धेले का नहीं। अवैध निर्माण या अतिक्रमण होने पर इनके अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, इसका फायदा बिल्डर आदि उठाते हैं।

नगर निगम के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कर्दम भी अपने अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं होने का दावा करते हुए दूसरे विभागों पर ठीकरा फोड़ते हैं। कहते हैं कि दूसरे विभागों की ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण है। शहर में गाहे बगाहे आने वाले मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर को यहां अतिक्रमण और अवैध निर्माण इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि उनकी आखों पर भ्रष्ट अधिकारियों की रिपोर्ट का चश्मा है।

# हूडा अधिकारियों को नजर नहीं आ रहे अवैध निर्माण

**फ़रीदाबाद ( मज़दूर मोर्चा )।** शहर में चारों ओर हो रहे बेतरतीब और अवैध निर्माण हूडा अधिकारियों को नजर नहीं आ रहे। सेक्टरों का रिहायशी इलाका हो, मार्केट या पार्क हर जगह अतिक्रमण और अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। ठोस कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ नोटिस भेजने की कागजी खानापूरी की जाती है। जहां सौदेबाजी सिरे नहीं चढ़ती हूडा की जेसीबी पहुंच जाती है, लेकिन शायद ही कहीं पूरी तरह तोड़फोड़ की जाती हो।

हूडा के सेक्टरों में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर लोग सड़क तक अपने रैंप बना रहे हैं। सेक्टर नौ में मकान नंबर 460 के बाहर आठ से दस फीट बढ़ कर बनाई गई रैंप ने सड़क का भी अतिक्रमण कर दिया है। इमारत के बाहर काफी बड़ा हिस्सा रेलिंग लगाकर घेर लिया गया है। यही नहीं बढ़ा कर बनाई गई बाउंड्रीवाल के भी बाहर सड़क पर दो पिलर खड़े कर छज्जा बनाया गया है। इस कारण सड़क काफी संकरी हो गई है।

बिल्डिंग के निर्माण में फ्लोर एरिया रेशियो सहित अन्य नियमों को भी दरकिनार किया गया है। अतिक्रमण कर नालियां तो समाप्त ही कर दी गई हैं। इसका खामियाजा बरसात में सेक्टर में घंटों और कभी कभी कई दिनों तक जलभराव के रूप में भुगतना पड़ता है। हूडा के एसडीओ सर्वे राजेंद्र ने अवैध निर्माण की जानकारी से इनकार करते हुए कहा कि टीम भेजकर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। खबर लिखे जाने तक हूडा की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना यह है कि हूडा अधिकारी इस निर्माण को कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब और कैसे प्रदान करते हैं।

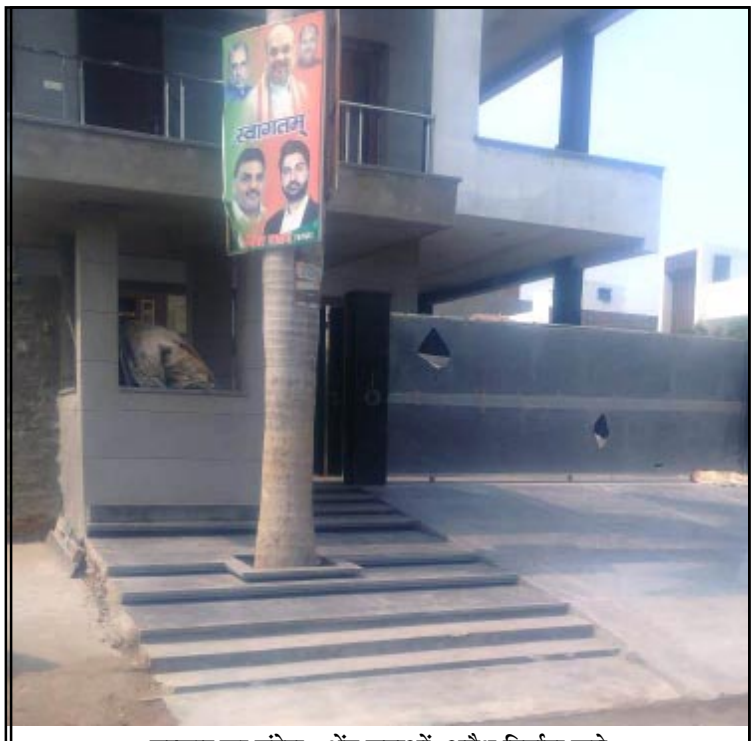


सरकार का संदेश : भेंट चढ़ाओं, अवैध निर्माण करो

**पांच सौ बूथों पर है अवैध निर्माण-अतिक्रमण**

रिहायशी इमारतों के साथ ही हूडा की मार्केटों में बूथों पर भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण धड़ल्ले से जारी है। हूडा नियमों के मुताबिक मार्केट में बेसमेंट, भूतल और प्रथम तल ही बनाया जा सकता है। बूथ का गेट एक ओर ही खोला जा सकता है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी बूथ के अंदर ही होगी। बरामदे में कोई अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सूत्रों के मुताबिक पांच सौ ऐसे बूथ चिह्नित किए गए हैं जहां नियमों का उल्लंघन कर अतिक्रमण या अवैध निर्माण किया गया है। इनमें अधिकतर बूथों में दूसरे तल का अवैध निर्माण किया गया है। दोनों ओर गेट बना दिए गए हैं। सड़क की ओर गेट खुलने से वाहन खड़े होते हैं और जाम लगता है। कहने को तो इन बूथ संचालकों को हूडा की ओर से नोटिस जारी की गई है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नोटिस के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं किया जाना, प्राधिकरण में भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।

हूडा की इस नोटिसबाजी को देखकर समझा जा सकता है कि नोटिस केवल इसलिए दिए जाते हैं कि नियमों का उल्लंघन करके निर्मोण करने वाले हूडा अधिकारियों की जेब गरम करें। यदि सरकार ने अवैध निर्माण ही बनवाने हैं तो लोगों को चोर बनाकर हूडा अधिकारियों को लूट का अधिकार क्यों दे रखा है?

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।